


प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

| | | | |
|----|---|----|---|
| 18 | राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएं) | 18 | प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर अनूपपुर जिले के अन्तर्गत वनमण्डल अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 1X660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना-इकाई के उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु 6.171 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग-2, म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, चचाई को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है। |
|----|---|----|---|

दिनांक: १०.०३.२०२२

स्थान: भोपाल


 (अशोक कुमार) (अशोक कुमार)
 अपर सचिव अपर सचिव,
 म.प्र. शासन वन विभाग
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
 (प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)